संख्या-118/2025/I/1012724/2025/71-1002/19/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 03 जुलाई, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष अनुमोदित उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज(उपकरण)/2025-26/255, दिनांक 09.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि रू0 625.01 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष शासनादेश संख्या - 84/2023/आई/328986/2023 दिनांक-08.06.2023 द्वारा कुल लागत रू0 825.01 लाख के उपकरणों की सूची अनुमोदित की गयी है तथा शासनादेश संख्या- 162/2023/आई/459133 दिनांक-29.12.2023 द्वारा अनुमोदित उपकरणों के क्रय हेतु रू0 200.00 लाख (केन्द्रांश रू0 100.00 लाख व राज्यांश रू0 100.00 लाख) की धनराशि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि में से अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार अनुमोदित उपकरणों के क्रय हेतु रू0 625.01 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना शेष है। वर्तमान महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में कोई धनराशि अवशेष नहीं है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2040.00 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैंचिग राज्यांश रू0 816.00 लाख के सापेक्ष रू0 105.96 लाख अभी अवमुक्त किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की वृद्धि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-84/2023/आई/328986/2023 दिनांक-08.06.2023 द्वारा अनुमोदित उपकरणों की सूची (कुल लागत रू0 825.01 लाख) के सापेक्ष उपकरणों के क्रय हेतु अवशेष धनराशि रू0 625.01 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 83 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में एम0 बी0 बी0 एस0 एवं पी0जी0 पाठयक्रमों की सीटों में वृद्धि हेतु मानक मद-26-मशीने एंव साज-सज्जा मद में लेखाशीर्षक- 4210-03-789-01-02 में प्राविधानित बजट रू0 2172.30 लाख में से **रु0 105.96 लाख (रू0 एक करोड़ पाँच लाख छियानवे हजार मात्र) (राज्यांश)** पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते से हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते-प्रतिबन्ध-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य की होगी।

2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

3. उपकरणों के क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त अधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।

6. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

7. उपकरणों के कय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
8. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 - इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,05,96,000 (रुपये एक करोड़ पाँच लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखाशीर्षक- 4210-03-789-01-02 एम0 बी0 बी0 एस0 एवं पी0जी0 पाठयक्रमों की सीटों में वृद्धि हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।